राजस्थान विश्वविद्यालय,जयपुर

जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर 302004

दूरभाष 0141-2256002 Email: gaduorjaipur @gmail.com

क्रमांकः एफ–9 / सा.प्र. / एच.ए.सी. / 2024 / दिनांकः

परिपत्र

राजस्थान विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों / अधिकारियों / कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि आवास आवंटन हेतु नवीन आवेदन आवास आवंटन नियम संख्या–5 के तहत् दिनांक 26 अक्टूबर 2024 से 25 दिसम्बर 2024 तक विश्वविद्यालय नियमानुसार 60 दिवस के भीतर आमंत्रित किये जाते हैं।

आवास आवंटन समिति द्वारा केवल ऐसे आवेदन ही विचारणीय होंगे :–

1. जिन शिक्षकों / अधिकारियों / कर्मचारियों ने जयपुर शहर की सीमा में मकान क्रय / निर्माण करने हेतु किसी भी बैंक / संस्थान से कोई आवास ऋण नहीं ले रखा है;
2. ऐसे शिक्षक / अधिकारी / कर्मचारी जो विश्वविद्यालय अभिलेखों के अनुसार आवास ऋण व उसके ब्याज की कटौती की आयकर अधिनियम 1961 की धारा 24 के अन्तर्गत छूट प्राप्त नहीं कर रहे है।

आवास आवंटन हेतु शिक्षकों / अधिकारियों / कर्मचारियों को देय शपथ–पत्र में यह घोषणा करनी होगी कि जयपुर शहर की सीमा में आवंटी या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से आवास क्रय करने की स्थिति में उक्त सूचना विश्वविद्यालय प्रशासन को अनिवार्य रूप से देते हुए विश्वविद्यालय में आवंटित आवास 03 माह में रिक्त कर देंगे।

आवास आवंटन के लिये प्राथमिकता राजस्थान विश्वविद्यालय नियम, 1982 के अन्तर्गत धारा 08 के तहत निर्धारित की जावेगी।

अतः समस्त आवास हेतु इच्छुक आवेदकों को सूचित किया जाता है कि वे विश्वविद्यालय आवासीय आवास नियम संख्या –05 के तहत रूपये 10/– शुल्क मय निर्धारित आवेदन पत्र इन्फोनेट के माध्यम से ऑनलाईन भरेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

कुलसचिव

क्रमांकः एफ–9 / सा.प्र. / एच.ए.सी. / 2024 / ४४०5-75 दिनांकः २५.10.२०२४

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, इन्फोनेट सेंटर, रा.वि.वि., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करवाने के साथ ही निर्धारित तिथि पश्चात् इसका संपूर्ण डाटा सामान्य प्रशासन अनुभाग को भिजवाने का श्रम करें। साथ ही यह भी अनुरोध है कि दिनांक 26 अक्टूबर 2024 से 25 दिसम्बर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र–मय निर्धारित शुल्क रू. 10/– विश्वविद्यालय परिसर में स्थित आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के खाता संख्या–674701700400 में जमा करवाने संबंधी प्रक्रिया प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / प्राचार्य / निदेशक / प्रभारी, शैक्षणिक / अशैक्षणिक ईकाई, रा.वि.वि., जयपुर।
3. संयोजक / समस्त सदस्य, आवास आवंटन समिति, रा.वि.वि., जयपुर।
4. उप–कुलसचिव (लेखा एवं वित्त), रा.वि.वि., जयपुर।
5. जनसम्पर्क अधिकारी, रा.वि.वि., जयपुर।
6. निजी सचिव, कुलपति / कुलसचिव, रा.वि.वि., जयपुर।
7. गार्ड फाईल, सामान्य प्रशासन अनुभाग, रा.वि.वि., जयपुर।

25.10.2024

उप कुलसचिव
(सामान्य प्रशासन)